

कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ0ग0

विभाग में क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी

राज्य पोषित योजना

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान कब से लागू है	कृषक/हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा				रिमार्क
				न्यूनतम		अधिकतम		
				राशि (रु.)	प्रतिशत	राशि (रु.)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	केला विकास योजना	केला प्रदर्शन	1999-2000 (अविघटित म.प्र.)	2250.00	100%	2250.00	100%	कृषकों के खेतों में केलो के 2/10 हे. के प्रदर्शन डाले जाते हैं, प्रदर्शन के लिए रु 2250/- प्रति प्रदर्शन अनुदान दिया जाता है।
2	समन्वित सब्जी विकास योजना	50 प्रतिशत अनुदान पर संकर सब्जी बीज वितरण	1999-2000 (अविघटित म.प्र.)	375.00	50%	3000.00	50%	समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम अंतर्गत बड़े शहरों के आसपास संकर सब्जी बीज हेतु प्रति हेक्टेयर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि रुपये 1500/- दिया जाता है। प्रति हितग्राही न्यूनतम 1/4 हे. एवं अधिकतम 2 हे. का लाभ दिया जाता है।
3	आलू विकास योजना	आलू प्रदर्शन	2000-2001 (अविघटित म.प्र.)	500.00	100%	500.00	100%	आलू विकास योजना के अंतर्गत रु. 500 का अनुदान कृषकों को 1/10 हे. प्रदर्शन हेतु दिया जाता है।
4	फल विकास कार्यक्रम	विभागीय आम पौध रोपण	1999-2000 (अविघटित म.प्र.)	2735.00 (पांच वर्षों में)	25%	21875.00 (पांच वर्षों में)	25%	योजना के अंतर्गत भू-स्वामी कृषक को आम फलोद्यान रोपण पर प्रति हेक्टेयर लागत राशि रु 43750/- पर 25 प्रतिशत अनुदान राशि रु. 10938/- पांच वर्षों में देने का प्रावधान है, जिसमें प्रति कृषक न्यूनतम 1/4 हे. एवम अधिकतम 2 हे. तक अनुदान देने का प्रावधान है
5	मसाला विकास योजना	मसाला प्रदर्शन	(अविघटित म.प्र.)	100.00	100%	100.00	100%	मसाला विकास कार्यक्रम अंतर्गत मसाला के उत्पादन में वृद्धि हेतु 1/10 हे. प्रदर्शन हेतु 100 रु. का मिनीकिट वितरण किये जाने का प्रावधान है।
6	पुष्प विकास योजना	पुष्प प्रदर्शन	(अविघटित म.प्र.)	3000.00	75%	3000.00	75%	पुष्प विकास योजनांतर्गत गुलाब, गेंदा, गेलार्डिया आदि पुष्पों की 1/27 प्रदर्शन हेतु रु 4000/- की लागत का 75 प्रतिशत अनुदान रुपये 3000/- दिये जाने का प्रावधान है।
7	औषधि एवं सुगंधित फसल विकास योजना	औषधि एवं सुगंधित फसल प्रदर्शन	1999-2000 (अविघटित म.प्र.)	100.00	100%	100.00	100%	औषधीय एवं सुगंधित फसलों के विकास हेतु 100 रु. का मिनीकिट 1/10 हे. प्रदर्शन हे दिये जाने का प्रावधान है।
8	घरेलू बागवानी की आदर्श योजना	सब्जी मिनीकिट वितरण	1999-2000 (अविघटित म.प्र.)	25.00	100%	25.00	100%	योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले हितग्राहियों को दैनिक पोषण उपलब्ध कराने एवं अतिरिक्त आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से 25 रु. के पांच प्रकार की सब्जी बीज घरों की बाड़ी में लगाने हेतु निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान कब से लागू है	कृषक/हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा				रिमार्क
				न्यूनतम		अधिकतम		
				राशि (रु.)	प्रतिशत	राशि (रु.)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1- Qykd k {ks= foLrkj	2007-08					योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा-निर्देश के आधार पर किया जा रहा है।
		अ. बहुवर्षीय		22500.00	75%	90000.00	75%	
		ब. एक वर्षीय		15000.00	50%	60000.00	50%	
		2- l Cth fodkl	2007-08					
		अ. क्षेत्र विस्तार		10000.00	50%	50000.00	50%	योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सब्जी बीजोत्पादन घटक को आधार मानकर किया जा रहा है।
		c- l Cth in'ku						
		I. संकर सब्जी		1200.00	100%	1200.00	100%	प्रति प्रदर्शन अनुदान का प्रावधान प्रस्तावित है।
		II. उन्नतशील सब्जी		700.00	100%	700.00	100%	---
		III. आलू		1800.00	100%	1800.00	100%	---
		3- el kyk fodkl ¼ks= foLrkj½	2007-08	11250.00	75%	45000.00	75%	योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा-निर्देश के आधार पर किया जा रहा है।
		4- m kfudh mi dj .k	2007-08					
		अ. स्प्रेयर डस्टर		1125.00	75%	1125.00	75%	प्रति कृषक 1 उपकरण का प्रावधान प्रस्तावित है।
		ब. पौध प्रवर्धन उपकरण		750.00	75%	750.00	75%	---
		स. अंकुरण उपकरण		37.50	75%	937.50	75%	प्रति कृषक 25 उपकरण का प्रावधान प्रस्तावित है।
		5- j k f .k ; k a d k l n < h d j .k	2007-08	1800000.00	100%	1800000.00	100%	योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शासकीय क्षेत्रों पर किया जा रहा है।
		6- l e f l o r d h v 0 ; k f / k f u ; a . k	2007-08	1000.00	50%	4000.00	50%	योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जा रहा है।
		7- m R i k n u i ' p k r i a k ; k s t u k	2007-08					
		अ. प्लास्टिक क्रेट्स वितरण		75.00	50%	750.00	50%	प्रति हितग्राही अधिकतम 10 क्रेट्स का प्रावधान प्रस्तावित है।
		ब. कम लागत वाली काजू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना		60000.00	100%	60000.00	100%	काजू रोपित क्षेत्रों के शासकीय रोपणी में प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अनुदान का प्रावधान प्रस्तावित है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान कब से लागू है	कृषक/हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा				रिमार्क
				न्यूनतम		अधिकतम		
				राशि (रु.)	प्रतिशत	राशि (रु.)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सूक्ष्म सिंचाई योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	v- fMf fl pkbz i) rh	2006-07					
		1. लघु एवं सीमांत कृषक		8506.00	70%	88148.00	70%	कृषक को संयंत्र के कुल लागत का 70 प्रतिशत अनुदान लघु एवं सीमांत कृषकों को देय होता है। प्रति हितग्राही अनुदान की अधिकतम सीमा 2.00 हे. और न्यूनतम 0.4 हे.।
		2. अन्य कृषक		18745.00	50%	161575.00	50%	अन्य कृषक को संयंत्र के कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देयक होता है। प्रति हितग्राही अनुदान की अधिकतम सीमा 5.00 हे. और न्यूनतम 2.00 हे. से अधिक है।
		c- fLi dyj fl pkbz i) fr	2006-07					
		1. लघु एवं सीमांत कृषक		6000.00	70%	30000.00	70%	कृषक को संयंत्र के कुल लागत का 70 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 15000/- रु. प्रति हे. लघु एवं सीमांत को देय होता है। प्रति हितग्राही अनुदान की अधिकतम सीमा 2.00 हे. और न्यूनतम 0.4 हे.।
		2. अन्य कृषक		3000.00	50%	37500.00	50%	अन्य कृषक को संयंत्र के कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देयक होता है। प्रति हितग्राही अनुदान की अधिकतम सीमा 5.00 हे. और न्यूनतम 2.00 हे. से अधिक है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान कब से लागू है	कृषक/हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा				रिमार्क
				न्यूनतम		अधिकतम		
				राशि (रु.)	प्रतिशत	राशि (रु.)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1- jki .k l kexh dk mRi knu vk\$ fodkl	2005-06					
		अ. मॉडल नर्सरी		900000.00	50%	1800000.00	100%	4 हे. क्षेत्र वाली मॉडल नर्सरी की लागत रु 18.00 लाख प्रति यूनिट होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली मॉडल नर्सरी रु 18.00 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा तक 100 प्रतिशत सहायता पाने की पा. है। मॉडल नर्सरी प्रति वर्ष 4 लाख पादपों को उत्पादित करेगी। रोपण सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नर्सरी की होगी। निजी क्षेत्र में मॉडल नर्सरी को दी जाने वाली सहायता 9.00 लाख प्रति यूनिट होगी।
		ब. लघु नर्सरी		150000.00	50%	300000.00	100%	लघु नर्सरी जो लगभग 1.00 हे. क्षेत्र में फैली हो, लघु नर्सरियों की लागत रु. 3.00 लाख प्रति यूनिट होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वित्त सहायता 100 प्रतिशत होगी और निजी क्षेत्र के नर्सरी के लिए सहायता की अधिकतम सीमा रु. 1.50 लाख है।
		स. उत्तक संवर्धन यूनिट		400000.00	50%	800000.00	100%	पुर्नवास/सुदृढीकरण के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की टी.सी. यूनिटों के लिए अधिकतम सीमा रु. 8.00 लाख तथा निजी क्षेत्र की टी.सी. यूनिटों के लिए लागत का 50 प्रतिशत है, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 4.00 लाख है।
		द. सब्जी के बीजों का उत्पादन		25000.00	50%	50000.00	100%	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सब्जी बीज उत्पादन के लिए वित्त सहायता रु 50,000 प्रति हे. होगी और निजी क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रु. 25000 प्रति हे. होगी। इसे ऋण से जुड़ी हुई बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में 5 हे. प्रति लाभकर्ता तक सीमित रखा जायेगा।
		ई. बीज के उचित रखरखाव, भण्डारण तथा पैकेजिंग			25%		100%	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत सहायता दी जायेगी और निजी क्षेत्र को क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी, जो लागत की 25 प्रतिशत तक होगी, की सहायता दी जायेगी।
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2- u; s m kuka dh LFkki uk	2005-06					

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान कब से लागू है	कृषक/हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा				रिमार्क
				न्यूनतम		अधिकतम		
				राशि (रु.)	प्रतिशत	राशि (रु.)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अ. बहुवर्षीय फलदार पौधों का रोपण (आम, लीची, नींबू, अन्य)		22500.00	75%	22500.00	75%	रु. 30,000 प्रति हे. लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 22,500 प्रति हे. जो 4 हे. प्रति लाभकर्ता तक सीमित है, इसे 50:30:20 के रूप में तीन किस्तों में दिया जायेगा। बशर्ते की जीवित रहने की दर दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत हो।
		ब. एकवर्षीय फलोद्धान (केला, पपीता, अन्य)		15000.00	50%	15000.00	50%	रु. 30,000 प्रति हे. लागत का 50 प्रतिशत रु. 15,000 प्रति हे जो 4. हे प्रति लाभकर्ता तक सीमित है
		3- i q i f o d k l d h ; k s t u k	2005-06					
		अ. कट फलावर (गुलाब, रजनीगंधा, गोल्डन राड)		23100.00	33%	35000.00	50%	क. रुपये 70000 प्रति हे. छोटे और सीमांत किसान लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 35000 प्रति हे. 2 हे. प्रति लाभकर्ता। ख. अन्य किसान लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रु. 23100 प्रति हे. 4 हे. प्रति लाभकर्ता।
		ब. बल्ब फलावर (रलेडीयोलस, नरगीस)		29700.00	33%	45000.00	50%	रु. 90,000 प्रति हे. छोटे और सीमांत किसान लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 45000 प्रति हे 2 हे. प्रति लाभकर्ता, अन्य किसान लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रु 29700 प्रति हे. 4 हे. प्रति लाभकर्ता।
		स. मौसमी पुष्प (लूज फलावर, गेंदा, सेवंती, गेलार्डिया)		7920.00	33%	12000.00	50%	रु. 24000 प्रति हे. छोटे और सीमांत किसान लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम/रु 12000 प्रति हे. 2 हे. प्रति लाभकर्ता, अन्य किसान लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम/रु 7920/हे. 4 हे. प्रति।
		द. मसाला एवं सुगंधित फसलें (मसाला-अदरक, लहसून, मिर्च, धनिया) (सुगंधित- पचौली, लेमनग्रास, जामारोजा, पामारोजा, खस)		11250.00	75%	11250.00	75%	रु. 15000/हे. लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम/रु. 11250/हे. अधिकतम 4 हे. प्रति हितग्राही।
		ई. रोपण फसलों सहित (प्लांटेशन क्राप काजू)		11250.00	75%	11250.00	75%	रु. 15000/हे. (औसत) लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 11250/हे. जो 4 हे. प्रति लाभकर्ता तक सीमित है। इसे 50:30:20 के रूप में 3 किस्तों में दिया जायेगा। बशर्ते जीवित रहने की दर दूसरे में 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत हो।
		फ. पुराने जीर्ण उद्यानों का पुर्नजीवीकरण		15000.00	50%	15000.00	50%	रु. 30000/हे. लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम/रु. 15000/हे. अधिकतम 2 हे. प्रति हितग्राही।

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान कब से लागू है	कृषक/हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा				रिमार्क
				न्यूनतम		अधिकतम		
				राशि (रु.)	प्रतिशत	राशि (रु.)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	4- ty l d k/ku L=krka dk fuekZk (समुदाय टैंक, तालाब, जलाशय)	2005-06	1000000.00	100%	1000000.00	100%	100 प्रतिशत सहायता रु. 10.00 लाख/यूनिट 10 हे. क्षेत्र में सिंचाई हेतु।
		5- l jf{kr [krh	2005-06					
		अ. ग्रीन हाउस (हैचरी)		125.00	33%	325.00	50%	छोटे और सीमांत किसान रु. 650/वर्ग मी. हाईटैक के लिए रु 250/वर्ग मी. सामान्य हाईटैक ग्रीन हाउस के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 325/वर्ग मी. तक तथा सामान्य जी. के लि एम. के लिए 125/वर्ग मी. प्रति लाभकर्ता अधिकतम 1000 स्का.मी. तक सामान्य के लिए हाईटैक ग्रीन हाउस के लिए लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रु. 215/वर्ग मी. तक तथा सामान्य के लिए रु. 67/ वर्ग मी. प्रति लाभकर्ता अधिकतम 1000 स्का.मी. तक।
		ब. फलावर (मल्लिचंग)		7000.00	50%	7000.00	50%	रु. 14000/हे. कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 7000/हे. जो 2 हे प्रति लाभकर्ता तक सीमित है।
		स. शेड नेट		3500.00	50%	3500.00	50%	रु. 14/वर्ग मी. कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु 3500/500 वर्ग मी. जो 2 हे. प्रति लाभकर्ता तक सीमित है।
		द. प्लास्टिक टनल		5000.00	50%	5000.00	50%	रु. 10/वर्ग मी. कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 5000/1000 वर्ग मी. जो 5 हे. प्रति लाभकर्ता तक सीमित है।
		6- mRd"B df"k dk fodkl INM / IPM-	2005-06					परियोजना आधारित पी.एफ.डी.सी. की लागत का 100 प्रतिशत।
		अ. स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता			100%		100%	(सार्वजनिक क्षेत्र) परियोजना आधारित
		ब. IPM को बढ़ावा देना		1000.00	50%	1000.00	50%	रु 2000/हे. कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1000/हे. जो 4 हे. प्रति हितग्राही तक सीमित है।
		स. रोग पूर्वानुमान यूनिट						रु. 4 लाख/यूनिट तक सार्वजनिक क्षेत्र
		द. जैव नियंत्रण प्रयोगशाला		4000000.00	50%	8000000.00	100%	रु. 80 लाख/यूनिट सार्वजनिक क्षेत्र रु. 80 लाख/यूनिट तक निजी क्षेत्र रु. 40 लाख/यूनिट तक क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी।
		ई. पादप स्वास्थ्य क्लिनिक		1000000.00	50%	2000000.00	100%	रु. 20 लाख/यूनिट सार्वजनिक क्षेत्र रु. 20 लाख/यूनिट तक निजी क्षेत्र रु. 10 लाख/यूनिट तक क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में।
		फ. पत्ता/ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला		1000000.00	50%	2000000.00	100%	रु. 20 लाख/यूनिट सार्वजनिक क्षेत्र रु. 20 लाख/यूनिट तक निजी क्षेत्र रु. 10 लाख/यूनिट तक क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में।

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान कब से लागू है	कृषक/हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा				रिमार्क
				न्यूनतम		अधिकतम		
				राशि (रु.)	प्रतिशत	राशि (रु.)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	7- dkcřud dřřk	2005-06					
		अ. कार्बनिक कृषि का अंगीकरण		10000.00	50%	10000.00	50%	रु. 20000/हे. कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 10000/हे. जो 4 हे. प्रति लाभकर्ता तक सीमित है।
		ब. वर्मी कम्पोस्ट यूनिट		30000.00	50%	30000.00	50%	रु. 60000/यूनिट लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 30000/यूनिट
		स. प्रमाणीकरण						परियोजना आधारित 50 हे. के कलस्टर में रु 5 लाख
		8- e/kpD[kh ikyu	2005-06	800.00	50%	800.00	50%	रु. 1600 प्रति कालोनी छत्ताधानी के साथ लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु 800/कालोनी के साथ मधुमक्खी का छत्ता
		9- in'kũ@vxz iřDr in'kũ }kjk iks křxdh dk iř kj	2005-06					
		अ. विशिष्ट खेती (आई.पी. एम./ आईएन.एम.)			75%		75%	परियोजना आधारित लागत का 75 प्रतिशत
		10- Ql y dVkbř ds ckn iřdk	2005-06					
		अ. पैक हाऊस		62500.00	25%	62500.00	25%	रु 2.50 लाख/यूनिट सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पंजीगत लागत की/25 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में।
		ब. शीत भंडारण यूनिट		5000000.00	25%	5000000.00	25%	रु 2 करोड/यूनिट सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पंजीगत लागत की/25 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में।
		स. शीत गृह भंडारण		40000000.00	25%	40000000.00	25%	रु 16 करोड/यूनिट सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पंजीगत लागत की/25 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में।
		द. वातानुकूलित वाहन कंटेनर्स		600000.00	25%	600000.00	25%	रु 24 लाख/यूनिट सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पंजीगत लागत की/25 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में।
		ई. मोबाइल प्रसंस्करण यूनिट		600000.00	25%	600000.00	25%	रु 24 लाख/यूनिट सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पंजीगत लागत की/25 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में।

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने का वर्तमान प्रावधान कब से लागू है	कृषक/हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा				रिमार्क
				न्यूनतम		अधिकतम		
				राशि (रु.)	प्रतिशत	राशि (रु.)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	11- cktkj vkl ipuk ifj ;kstuk vk/kkfjr	2005-06					सरकारी/निजी/सहकारी क्षेत्र में बागवानी उत्पादों के लिए विपणन के बुनियादी ढांचे की स्थापना सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पूंजीगत लागत की/25 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में।
		अ. थोक बाजार		2500000.00	25%	2500000.00	25%	रु. 1 करोड/यूनिट सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पूंजीगत लागत की/25 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में।
		ब. ग्रामीण बाजार/ अपनी मंडी		375000.00	25%	375000.00	25%	रु. 15 लाख/यूनिट सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पूंजीगत लागत की/25 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में।
		स. संग्रहण ग्रेडिंग		375000.00	25%	375000.00	25%	रु. 15 लाख/यूनिट सामान्य क्षेत्र में परियोजना के पूंजीगत लागत की/25 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड सब्सिडी और 33.33 प्रतिशत पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में।
		द. तोजे प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए प्रसार गुणवत्ता			100%		100%	परियोजना आधारित 100 प्रतिशत सहायता
		12- ekuo l d k/ku fodkl ds l kfk ckxokuh	2005-06					
		अ. किसान प्रशिक्षण		1500.00		1500.00		किसान के प्रशिक्षण के लिए/रु. 1500 प्रति किसान सहायता दी जायेगी।
		ब. राज्य के बाहर किसान प्रशिक्षण		2500.00		2500.00		इस कार्य के लिए प्रति उम्मीदवार रु. 2500 की सहायता दी जायेगी, जिसमें यातायात, आवास, प्रतिदिन आहार भत्ता और प्रशिक्षण किट शामिल है।
		स. परियोजना अधिकारी, जिला बागवानी अधि., कृषि अधि को राज्य में या राज्य के बाहर प्रशिक्षण						इस प्रयोजन हेतु वास्तविक लागत को अधिकतम प्रति उम्मीदवार 50,000 दिये जायेंगे, जिसमें यात्रा तथा संस्थान में प्रशिक्षण सामग्री की लागत शामिल है।
		द. पर्यवेक्षकों, उद्यमियों, गार्डनर तथा फील्ड कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण						पर्यवेक्षक और उद्यमशीलता के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सांकेतिक लागत रु. 18.00 लाख होगी (25 प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक वर्ष) अनुरूप गार्डनर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सांकेतिक लागत निम्नलिखित विवरण के अनुसार रु 13.5 लाख हे. (25 प्रशिक्षणार्थियों के लिए 6 माह)

dk; kly; l gk; d l pkyd m | ku ftyk mRrj cLrj dkdg NRRhl x<+
ftys ea Lohdr] Hkjs , oafjDr inka tkudkjh Wnukad 13-10-2009 rd½

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	नाम अधिकारी / कर्मचारी	कार्यालय / रोपणी का नाम	विकास खण्ड का नाम	गृह जिला	दूरभाष नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक संचालक उद्यान	1	0	1	श्री कृष्णकांत मिश्र	कार्या. सहा. सं. उद्यान	जिला कांकेर	रीवा (म0प्र0)	9826127058	
2	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	2	0	2	—	—	—	—		पद रिक्त
3	उद्यान विकास अधिकारी	5	2	3	श्री लुदर सिंह ठाकुर	शा0 उ0 रो0 सिंगारभाट	कांकेर	बस्तर (छ0ग0)	9424279646	
					श्री एस. आर. बर्मन	कार्या. सहा. सं. उद्यान	कांकेर	दुर्ग (छ0ग0)	9424286578	
4	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	22	12	10	सुनिल कुमार रामटेके	कार्या. सहा. सं. उद्यान	कांकेर	रायपुर (छ0ग0)	9425593055	
					अवनिन्द्र कुमार तिवारी	विकास खण्ड कांकेर	कांकेर	भिण्ड (म0प्र0)	9826373984	
					श्री आर.बी.एस. बघेल			मुरैना (म0प्र0)	9424273572	
					श्री नन्दूराम कौशल			कांकेर (छ0ग0)	9827972862	
					श्री माधव सिंह ठाकुर			विकास खण्ड नरहरपुर	नरहरपुर	कांकेर (छ0ग0)
					श्री राजेन्द्र सिंह बागरी	विकास खण्ड कोयलीबेड़ा	कोयली बेड़ा	पन्ना (म0प्र0)	9993147785	
					श्री श्रवण कुमार भास्कर			कांकेर (छ0ग0)		
					श्री भोजलाल सोनटके	विकास खण्ड अंतागढ़	अंतागढ़	बालाघाट (म0प्र0)	9424295811	उ.वि.अधि. के विरुद्ध कार्यरत
					श्री सहादन कुमार पैकरा			सरगुजा (छ0ग0)		
					श्री ए. के. पण्डा	वि0 ख0 चारामा	चारामा	महासमुंद (छ0ग0)	9425259738	उ.वि.अधि. के विरुद्ध कार्यरत
श्री आर.सी.एस. सेंगर	वि0 ख0 दुर्गकोंदल	दुर्गकोंदल	बांदा (उ0प्र0)	9827413895						
श्री टी. एस. नेताम	कार्या. सहा. सं. उद्यान	कांकेर	—							
5	सहायक ग्रेड — 1	1	0	1	—	—	—	—	—	पद रिक्त
					श्रीमती डी. के. कुलदीप			कांकेर (छ0ग0)	9424289282	

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	नाम अधिकारी / कर्मचारी	कार्यालय / रोपणी का नाम	विकास खण्ड का नाम	गृह जिला	दूरभाष नम्बर	रिमार्क					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
6	सहायक ग्रेड - 2	2	2	0	श्रीमती सरस्वती ढाली	कार्या. सहा. सं. उद्यान	कांकेर	बस्तर (छ0ग0)		दि. 21.04.2007 से लगातार अनुपस्थित					
7	सहायक ग्रेड - 3	6	4	2	श्रीमती उषा भारद्वाज	कार्या. सहा. सं. उद्यान	कांकेर	कांकेर (छ0ग0)	9407748944						
					श्री जे. के. नरेटी			कांकेर (छ0ग0)	9424275401						
					श्री ए. के. बोध			बस्तर (छ0ग0)	9424273838						
					श्री रामदयाल कड़ियाम			कांकेर (छ0ग0)	9406285654						
8	भृत्य	2	1	1	श्री रामभाऊ जैन	कार्या. सहा. सं. उद्यान	कांकेर	कांकेर (छ0ग0)	9407772010						
9	माली	18	41	-	1. श्री बी. आर. कश्यप	वि0 ख0 कांकेर	कांकेर	बस्तर (छ0ग0)							
					2. श्री गोपाल चन्द्र दास			कांकेर (छ0ग0)							
					3. श्री श्यामसिंह यादव			कांकेर (छ0ग0)							
					4. श्री बी. एस. नाग			बस्तर (छ0ग0)							
					5. श्री छोटेलाल चंदेल			बस्तर (छ0ग0)	9424285778						
					6. श्री बी. एल. ठाकुर			दुर्ग (छ0ग0)							
					7. श्री एल. एल. जैन			कांकेर (छ0ग0)							
					8. श्री जी. आर. खापर्डे			कांकेर (छ0ग0)							
					9. श्री आर. के. नुरेटी			कांकेर (छ0ग0)							
					10. श्री एन. एस. नरेटी			कांकेर (छ0ग0)							
					11. श्री बी. डी. खान			कांकेर (छ0ग0)	9893246932						
					12. श्री पुरुषोत्तम जैन			कांकेर (छ0ग0)							
					13. श्री मुन्ना लाल मण्डावी			कांकेर (छ0ग0)	9098406890						
					14. श्री बी. एस. केशरी	कांकेर (छ0ग0)									
					15. श्री के. के. शोरी	कांकेर (छ0ग0)									
					16. श्री बी. आर. दर्से	कांकेर (छ0ग0)									
					17. श्री दुलार सिंह मण्डावी	कांकेर (छ0ग0)									
					18. श्री गोवर्धन जैन	कांकेर (छ0ग0)									
					19. श्री डी. पी. सोनी	कांकेर (छ0ग0)									
										20. श्री लखनलाल उदयपुरे			बालाघाट (म0प्र0)		
										21. श्री बी. आर. खापर्डे			कांकेर (छ0ग0)		

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	नाम अधिकारी / कर्मचारी	कार्यालय / रोपणी का नाम	विकास खण्ड का नाम	गृह जिला	दूरभाष नम्बर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	माली	-	-	-	22. श्री रामलखन यादव	वि० ख० चारामा	चारामा	कांकेर (छ०ग०)		
23. श्री एल. एस. उइके					दुर्ग (छ०ग०)					
24. श्री संजय नेताम					कांकेर (छ०ग०)					
25. श्री अघन सिंह कुमेटी					बस्तर (छ०ग०)					
26. श्री शोभ सिंह बारला					कांकेर (छ०ग०)					
27. श्री कनेसिंह पोया					कांकेर (छ०ग०)					
28. श्री सामूराम निषाद					वि० ख० भानुप्रतापपुर			भानुप्रतापपुर	कांकेर (छ०ग०)	
29. श्री मंगतूराम मौर्य						बस्तर (छ०ग०)				
30. श्री मोती लाल बारला						कांकेर (छ०ग०)				
31. श्री बंशीलाल यादव					वि० ख० दुर्गकौंदल	दुर्गकौंदल	कांकेर (छ०ग०)			
32. श्री मानसिंह नाग							बस्तर (छ०ग०)			
33. श्री पतिराम आमड़े					वि० ख० अंतागढ़	अंतागढ़	बस्तर (छ०ग०)			
34. श्री मधुराम नाग							बस्तर (छ०ग०)			
35. श्री मंगतूराम गोटा							बस्तर (छ०ग०)			
36. महेश राम उसेण्डी							बस्तर (छ०ग०)			
37. श्री तुलाराम नाग					वि० ख० कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	बस्तर (छ०ग०)			
38. श्री संपत नाग							बस्तर (छ०ग०)			
39. श्री रामलाल नाग							बस्तर (छ०ग०)			
40. श्री राजाराम दरेन्द्र							कांकेर (छ०ग०)			
41. श्री महादेव समरथ							बस्तर (छ०ग०)			

Vhi & जिले में नये पद संरचना के अनुसार माली कर्मचारी हेतु कुल 18 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 41 माली कार्यरत हैं। अतिशेष 23 माली कर्मचारियों का युक्ति युक्तकरण संबंधी वरिष्ठालय से चाही गई जानकारी भेजी गई है।

सहायक संचालक उद्यान
जिला उ० ब० कांकेर (छ०ग०)

dk; kly; l gk; d l pkyd m | ku ftyk mRrj cLrj dkdsj NRrhl x<+

पदसंरचना (सेटअप) के अनुसार जिले में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी
(दिनांक 13 अक्टूबर 2009 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग/पदनाम	स्वीकृत पद की जानकारी			विशेष
		स्वीकृत	भरे	रिक्त	
1	2	3	4	5	6
1	सहायक संचालक उद्यान	1	1	0	—
2	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	2	0	2	—
3	उद्यान विकास अधिकारी	5	2	3	—
4	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	22	12	10	—
5	सहायक ग्रेड – 1	1	0	1	—
6	लेखा./सहायक ग्रेड – 2	2	2	0	—
7	सहायक ग्रेड-3/ डाटा एन्ट्री आपरेटर	6	4	0	—
8	वाहन चालक/ट्रेक्टर	0	0	0	—
9	भृत्य/चौकीदार	2	1	1	—
10	माली	18	41	-	अतिशेष 23

सहायक संचालक उद्यान
जिला उ० ब० कांकरे (छ०ग०)